

राजस्थान-सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक - स. 3 (7) (2) सेवानिवृत्ति/अभि/14/ 7719-64

दिनांक - 27/5/19

प्रेषित -

निदेशक, पेंशन विभाग
राजस्थान जयपुर।

विषय - दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक सेवानिवृत्त हो रहे मंत्रालयिक कर्मचारियों की सूची जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अभियोजन विभाग में दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र०स०	नाम कार्मिक मय पिता का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	अधिवार्षिक आयु प्राप्त करने की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मेधाराम पुत्र श्री खेताराम	स०प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन पाली	11-01-60	31-01-2020
2.	श्री भंवर लाल सैन पुत्र श्री सोहन लाल	कनिष्ठ सहायक	अभियोजन निदेशालय जयपुर	13-01-60	31-01-2020
3.	श्री खेताराम पुत्र श्री भूराराम	वरिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक अभियोजन सिरोही	25-1-60	31-1-2020
4.	श्री शिव कुमार जोशी पुत्र श्री गोपाल जोशी	अ०प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन अजमेर	1.3.60	29-02-2020
5.	श्री राम स्वरूप वर्मा पुत्र श्री मांगेलाल	स०प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन अलवर	11-2-60	29-02-2020
6.	श्री भगवान दास जाटव पुत्र श्री कजोड मल	अ०प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन झुंझुनू	3.4.60	30-04-2020
7.	श्री ओमप्रकाश रती पुत्र श्री भंवर लाल	वरिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक अभियोजन बाडमेर	1.6.60	31-05-2020
8.	श्री श्रवण कुमार मीणा पुत्र श्री हनुमानाराम	अ०प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन कोटा	5.6.60	30-06-2020
9.	श्री कैलाश प्रसाद मीणा पुत्र श्री नाथूराम	अ०प्र०अ०	अभियोजन निदेशालय जयपुर	1.7.60	30-06-2020
10.	श्री जसवन्त सिंह चन्द्रावत पुत्र श्री मोहन लाल	अ०प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन कोटा	30.06.60	30-06-2020
11.	श्री राम सहाय मीणा पुत्र श्री महादेव	स०प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन दौसा	20-6-60	30-06-2020

(रमेश कुमार शर्मा)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है -

- समस्त उप निदेशक अभियोजन/सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूची का सत्यापन कर उनसे संबंधित कार्मिक के यदि सेवानिवृत्त आदेश जारी नहीं हुये हैं या ऐसा कोई कार्मिक जिसका नाम उक्त सूची में नहीं हो तो कार्मिक के विरुद्ध नियम 16 एवं 17 तथा 19 सी.सी.ए. के अन्तर्गत वर्तमान में कोई विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण, राजकीय बकाया होने/नहीं होने का प्रमाण पत्र, राजकीय आवास आवंटित होने/ न होने का प्रमाण पत्र सहित सेवा पुस्तिका के साथ सेवानिवृत्ति की दिनांक से 06 माह पूर्व प्रकरण आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाये जावे। स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले कार्मिकों के प्रकरणों में भी उक्त वर्णित तथ्यों सहित कार्मिक का स्वे. सेवानिवृत्ति लेने का कारण, तथा कार्यालयध्यक्ष की उस पर विस्तृत टिप्पणी सहित निर्धारित अवधि में इस निदेशालय को प्रेषित करें, उक्त सूचनाओं के अभाव में अधूरे प्रकरण भिजवाने अथवा देरी से भिजवाने वाले कार्यालयध्यक्षों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जावेगी।
- रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर